संक्षिप्त समाचार

कस्टम विभाग ने 1.48 करोड़ रुपये की तस्करी का सोना जब्त किया जब्त

नई दिल्ली , एजेंसी। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 18-19 दिसंबर, 2024 के दौरान सोने की तस्करी के दो मामलों को पकड़ा। अधिकारियों ने कुल 2.073 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया, जिसे नए तरीकों से तस्करी किया गया था। वित्त मंत्री ने इस कार्रवाई के लिए कस्टम विभाग के अधिकारियों की तारीफ की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय (सीएसएमआई) हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों की तारीफ की है। वित्त मंत्री ने कस्टम अधिकारियों की सतर्कता और 1.48 करोड़ रुपये मूल्य के 2 किलोग्राम से अधिक तस्करी किए गए सोने को सफलतापूर्वक जब्त करने के लिए सराहना की। मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुंबई कस्टम की मेहनत की सराहना करती हूं। बहुत बढ़िया। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 18-19 दिसंबर, 2024 के दौरान सोने की तस्करी के दो मामलों को पकड़ा। अधिकारियों ने कुल 2.073 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया, जिसे नए तरीकों से तस्करी किया गया था। मुंबई कस्टम्स ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 18-19 दिसंबर 2024 को, मुंबई के एसएमआई एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने 2 मामलों में 1.48 करोड़ रुपये मूल्य का 2.073 किलोग्राम सोना जब्त किया। सोना यात्री ने अपने शरीर में छिपा रखा था और दूसरे मामले में एक एयरपोर्ट कर्मचारी से सोना बरामद हुआ, जिसे एक ट्रांजिट यात्री ने सौंपा था। 02 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम टीम ने ऐसे मामलों से निपटने में लगातार सतर्कता और दक्षता का प्रदर्शन किया है, जिससे भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक पर वैध संचालन सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।

लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाएगा अदाणी समूह का कैंपेन पहले पंखा

नई दिल्ली, एजेंसी। अदाणी ग्रुप समूह ने हम करके दिखाते हैंके अपने कैंपेन को एक नया रूप दिया है। ये कैंपेन अदाणी समूह की परियोजना से लाखों भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दिखाता है। आइए इस बारे में जानें। अदाणी ग्रुप समूह ने ÷हम करके दिखाते हैंके अपने कैंपेन को एक नया रूप दिया है। ये कैंपेन अदाणी समूह की परियोजना से लाखों भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दिखाता है। इसकी पहली फिल्म, पहले पंखा फिर बिजली, ओगिल्वी इंडिया ने बनाई गई है। इस फिल्म में एक बच्चे की दिल छू लेने वाली कहानी दिखाई गई है। यह बच्चा सभी बाधाओं और उपहास का सामना करते हुए यह विश्वास करता है कि एक पंखा उसके गांव में बिजली ला सकता है। उसका यह अटूट विश्वास तब साकार होता है जब वह अदाणी के एक विंडमिल जनरेटर को अपने गाँव में स्वच्छ ऊर्जा से बिजली लाते हुए देखता है। इस फिल्म को #HKKDH के साथ कई ब्रॉडकास्ट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया जाना है। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर, प्रणव अदाणी ने कहा, ÷यह कैंपेन वास्तव में अदाणी ग्रुप की मूल भावना को दर्शाता है। इस पहल की खासियत इसका दिलों को छूने लेने वाला एहसास है।

जीएसटी : स्विगी-जोमैटो ऑर्डर पर टैक्स में कटौती, बीमा पर छूट या 35 प्रतिशत का स्लैब, परिषद की 55वीं बैठक में क्या होगा?

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में लगभग 148 वस्तुओं पर लगाने वाले दर में फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा, एयरलाइन उद्योग की परिचालन लागत के एक प्रमुख घटक एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) को माल व सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श हो सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

जीएसटी परिषद शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में हो रही बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर कम करने, महंगी कलाई घड़ियों, जूतों और परिधानों पर कर की दर बढ़ाने और हानिकारक वस्तुओं के लिए अलग से 35 प्रतिशत कर स्लैब पर विचार करने पर विचार कर सकती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में लगभग 148 वस्तुओं पर लगाने वाले दर में फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा, एयरलाइन उद्योग की परिचालन लागत के एक प्रमुख घटक एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) को माल व सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श हो सकता है।

फिटमेंट कमेटी (जिसमें केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं) ने अपने प्रस्ताव परिषद् को सौंप दिए हैं। स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर जीएसटी दर को वर्तमान 18 प्रतिशत (आईटीसी के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है।

वहीं, इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों और छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर जीएसटी को मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक करने का भी प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से इस्तेमाल की गई और पुरानी छोटी

कारें व इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरें पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून, 2025 तक छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना है। क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था मार्च, 2026 में समाप्त हो जाएगी, और जीएसटी परिषद ने उपकर का भविष्य तय करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक पैनल गठित किया है।

जीएसटी व्यवस्था में, विलासितापूर्ण वस्तुओं पर 28 प्रतिशत कर के अलावा विभिन्न दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। उपकर से प्राप्त आय, जिसे मूल रूप से जीएसटी लागू होने के बाद पांच साल या जून 2022 तक के लिए लगाया गया था, का उपयोग जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया गया। परिषद के एजेंडे में एक प्रमुख मुद्दा स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर तय करना भी है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में परिषद की ओर से गठित मंत्री समूह ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की ओर से स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य लोगों की ओर से 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी में छूट देने का भी प्रस्ताव है।

हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए प्रीमियम भुगतान पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा। परिषद जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेगी। इसमें 148 वस्तुओं की दर में बदलाव का सुझाव दिया गया है।

जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह ने इस महीने की शुरुआत में परिषद के समक्ष अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। इसमें वातित पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक्स), सिगरेट, तंबाकू और इस तरह के हानिकारक उत्पादों कर को वर्तमान 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया था। जीएसटी के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय कर दरें जारी रहेंगी और मंत्रिसमूह की ओर से केवल हानिकारक वस्तुओं पर 35 प्रतिशत की नई दर लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्रियों के समूह ने परिधानों पर कर दरों को तर्कसंगत बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। निर्णय के अनुसार, 1,500 रुपये तक की लागत वाले तैयार कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि 1,500 रुपये से 10,000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले परिधानों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। वर्तमान में 1,000 रुपये तक के परिधानों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि इससे अधिक कीमत वाले परिधानों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। मंत्री समूह ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है। 19 अक्तूबर को हुई पिछली बैठक में 25,000 रुपये से अधिक मूल्य की कलाई घड़ियों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया गया था।

मंत्री समूह ने 20 लीटर और उससे ज्यादा के बोतलबंद पानी पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है।

जीएसटी परिषद को 148 वस्तुओं में कर दरों में बदलाव का दिया गया है प्रस्ताव

कुल मिलाकर, दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह ने जीएसटी परिषद को 148 वस्तुओं में कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। एक अधिकारी ने पहले कहा था, ÷दरों में बदलाव से शुद्ध राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीएसटी के तहत, आवश्यक वस्तुओं को या तो छूट दी गई है या उनपर सबसे कम स्लैब पर कर लगाया गया है, जबकि विलासिता वाली वस्तुओं पर सबसे अधिक स्लैब के तहत कर लागू है। कार, वाशिंग मशीन जैसी विलासिता की वस्तुओं और एयरेटेड वाटर व तंबाकू उत्पादों वाली वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत स्लैब के तहत कर लगाया जाता है।

जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के संबंध में परिषद की ओर से समयसीमा पर विचार-विमर्श करने और राज्यों के बीच आम सहमति बनाने की संभावना है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया था, तो उस समय एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य शुल्क लगते थे।

पांच वस्तुओं - ÷कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)को जीएसटी कानून में शामिल किया गया था, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि बाद में इन्हें जीएसटी के तहत कर लगाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार उन पर उत्पाद शुल्क लगाती रही, जबकि राज्य सरकारें वैट वसूलती रहीं। इन करों में समय-समय पर बढ़ोतरी की गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने से न केवल कंपनियों को इनपुट पर चुकाए गए कर को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश में ईंधन पर टैक्सेशन में भी एकरूपता आएगी। एटीएफ को जीएसटी में शामिल करना विमानन कंपनियों की वित्त मंत्रालय से एक प्रमुख मांग रही है। कंपनियों का कहना है कि इससे लागत कम होगी क्योंकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक के लिए जैसलमेर पहुंचीं। जैसलमेर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों ने सीतारमण का स्वागत किया।

सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, दिसंबर में 1193 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। 24 कैरेट सोना 466 रुपए सस्ता होकर 75,547 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। वहीं चांदी के भाव में 1,335 रुपए की गिरावट आई है और चांदी आज 85,700 रुपए प्रति किलो के औसत रेट पर खुली। यह रेट आईबीए द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है और आपके शहर में इन कीमतों में 1,000 से 2,000 रुपए का अंतर हो सकता है। आज 23 कैरेट गोल्ड का औसत भाव 465 रुपए सस्ता होकर 75,244 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड 427 रुपए सस्ता होकर 69,201 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। 18 कैरेट गोल्ड की कीमत में 350 रुपए की गिरावट आई है, जो अब 56,660 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 14 कैरेट गोल्ड भी 273 रुपए सस्ता होकर 44,195 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना : अदाणी समूह को राहत, हाईकोर्ट ने टेंडर दिए जाने के खिलाफ याचिका की खारिज

नई दिल्ली , एजेंसी। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से अदाणी समूह को दिए गए ठेके को बरकरार रखा और कहा कि इस फैसले में कोई ÷मनमानापन, पक्षपात या विकृतिनहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना देने का काम सौंपा गया था, जिसने 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। सेकलिंक टेक्नोलॉजीज 2018 में इस परियोजना के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी, लेकिन उस वर्ष जारी निविदा को बाद में सरकार ने रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा कि कंपनी की याचिका में बल का अभाव है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। उच्च न्यायालय ने कहा, याचिका के समर्थन में दिए गए आधारों में दम नहीं है। अदाणी समूह मुंबई के मध्य में स्थित 259 हेक्टेयर की धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाला समूह बनकर उभरा था और 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ इसे हासिल कर लिया था।

आरबीआई ने राज्यों की ओर से सब्सिडी खर्च बढ़ाए जाने पर जताई चिंता

नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि है राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए सब्सिडी पर व्यय की तत्काल समीक्षा करने की आवश्यकता है। इससे अधिक नौकरियां पैदा करने और स्थायी आधार पर गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में और क्या कहा गया है, आइए जानें। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को सब्सिडी पर राज्यों की ओर से बढ़ते खर्च पर चिंता जताई और इस तरह के खर्चों को तर्कसंगत बनाने का आह्वान किया। केंद्रीय बैंक ने राज्य वित्त- 2024-25 के बजट का अध्ययन रिपोर्ट में कहा कि राज्यों को अपने सब्सिडी खर्चों को नियंत्रित और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के खर्च से अधिक उत्पादक व्यय प्रभावित न हों।

राज्यों की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में कृषि ऋण माफी, मुफ्त/सब्सिडी वाली सेवाएं (जैसे कृषि और घरों को बिजली, परिवहन, गैस सिलेंडर) और किसानों, युवाओं और महिलाओं को नकद हस्तांतरण शामिल

हैं। सब्सिडी, जिसे कभी-कभी राजनीतिक चर्चा में मुफ्त उपहार कहा जाता है, का राजनीतिक दल, विशेष रूप से चुनावों से पहले जीत हासिल करने के लिए सहारा लेते हैं।

कई राज्यों ने कृषि ऋण माफी, कृषि और घरों को मुफ्त बिजली, लोगों के एक वर्ग को मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को मौद्रिक सहायता से संबंधित रियायतों की घोषणा की है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, ÷इस तरह के खर्च से उनके पास उपलब्ध संसाधन खत्म हो सकते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की उनकी क्षमता बाधित हो सकती है। उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात, बकाया गारंटी और बढ़ते सब्सिडी बोझ के कारण राज्यों को विकास और पूंजीगत खर्च पर अधिक जोर देते हुए राजकोषीय समेकन पर टिके रहने आवश्यकता है।

आरबीआई ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए संसाधनों को मुक्त करने के लिए सब्सिडी पर व्यय की तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है, जिससे अधिक नौकरियां पैदा करने और स्थायी आधार पर गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने कहा कि बढ़ते सब्सिडी बोझ से नए दबाव उभर रहे हैं, ऐसे में राज्यों की ओर से राजकोषीय समेकन को मजबूत करने की जरूरत है।

आरबीआई ने कहा कि राज्य सरकारों ने लगातार तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के लिए अपने सकल राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर रखने और 2022-23 और 2023-24 में राजस्व घाटे को जीडीपी के 0.2 प्रतिशत तक सीमित करके राजकोषीय समेकन की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। आरबीआई ने कहा कि इससे राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है। 2000 के दशक की शुरुआत में राज्य सरकारों की ओर से राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून (एफआरएल) को अपनाने से उनके प्रमुख राजकोषीय मापदंडों में सुधार हुआ। इसके साथ ही, राज्यों का कुल ऋण मार्च 2004 के अंत में जीडीपी के 31.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में जीडीपी का 28.5 प्रतिशत हो गया। हालांकि, यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समीक्षा समिति (2017) की ओर से अनुशंसित 20 प्रतिशत के स्तर से यह अब भी काफी ऊपर है। आरबीआई की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने से राज्यों को अपनी कर प्रणाली को और बेहतर बनाने और कर क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट में यह भी सलाह दी गई कि राज्य विशेष रूप से बिजली, पानी और परिवहन सेवाओं के लिए लिए जाने वाले शुल्क में समय पर संशोधन करके गैर-कर राजस्व भी बढ़ा सकते हैं।

2024 में बिटकॉइन ने दिया कमाल का प्रदर्शन, निवेशकों को शानदार रिटर्न देकर चौंकाया

नई दिल्ली, एजेंसी। 2024 में निवेश के लिहाज से बिटकॉइन ने अन्य सभी निवेश विकल्पों को पीछे छोड़ दिया है। इस साल क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है और बिटकॉइन 2024 का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला निवेश साबित हुआ है। इसने 12 महीनों में 140त्न का शानदार रिटर्न दिया है। साल की शुरुआत में बिटकॉइन की कीमत करीब ,42,000-,43,000 थी, जबकि अब साल के अंत तक इसकी कीमत रिकॉर्ड ,1,08,000 तक पहुंच गई है। यह रिटर्न निफ्टी-50 के 10प्रतिशत रिटर्न और सोने के 20 प्रतिशत रिटर्न से काफी अधिक है।

बिटकॉइन में तेजी के कई कारण रहे हैं, जिनमें कुछ प्रमुख घटनाएं शामिल हैं। जनवरी में एसईसी द्वारा बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी देने के बाद, निवेशकों के लिए बिटकॉइन में निवेश करना आसान हो गया। जुलाई में

डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इसका समर्थन किया, और नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन की कीमत में और बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा, ट्रंप ने पॉल एटकिंस को एसईसी चेयरमैन नियुक्त किया, जो क्रिप्टोकरेंसी के अनुकूल नियमों का संकेत था, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में की गई कटौती थी। सितंबर में फेड ने 4 साल में पहली बार ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती की और फिर नवंबर और दिसंबर में 0.25 प्रतिशत की और कटौती की। कम ब्याज दरों से निवेशक अधिक जोखिम वाले विकल्पों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे बिटकॉइन को लाभ हुआ। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी क्रिप्टोकरेंसी की सफलता में अहम भूमिका रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के डॉलर के वैश्विक उपयोग की आलोचना करते हुए कहा कि यह अन्य देशों को बिटकॉइन जैसी वैकल्पिक मुद्राओं की ओर आकर्षित करता है। यूरोप और चीन ने भी क्रिप्टो के लिए अपने रुख को नरम किया। 2025 में बिटकॉइन का रुख सकारात्मक रहने की संभावना है। Mudre& के सीईओ एडुल पटेल के अनुसार, बिटकॉइन की 2024 की मजबूती 2025 में भी जारी रह सकती है। उन्होंने बताया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर स्पष्ट नियमों और नए ईटीएफ के साथ बिटकॉइन की कीमत 2025 के अंत तक 2 लाख डॉलर तक पहुंच सकती है।

शेयर बाजार फिर लाल निशान पर खुला, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 80000 से नीचे, निफ्टी भी लुढ़का

मुंबई, एजेंसी। घरेलू बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 214.08 अंक फिसलकर 79,003.97 अंक पर और एनएसई निफ्टी 63.8 अंक की गिरावट के साथ 23,887.90 अंक पर आ गया। इसके अलावा रुपया शुरुआती कारोबार में छह पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर 85.07 पर पहुंच गया।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,224.92 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इस बीच सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और एचडीएफसी बैंक के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। टाइटन, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मारुति के शेयरों में तेजी आई।

एशियाई बाजारों में सियोल में गिरावट दर्ज की गई जबकि टोक्यो, शंघाई और हांगकांग में सकारात्मक कारोबार हुआ। वॉल स्ट्रीट गुरुवार को मिश्रित रुख के साथ बंद हुआ। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 4,224.92 करोड़ रुपये मूल्य की इक्विटी बेची। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, दिसंबर की शुरुआत में देखी गई एफआईआई खरीदारी अब उलट रही है और इस सप्ताह की बिकवाली 12,229 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। एफआईआई रणनीति में यह बदलाव बाजार के रुझानों में भी दिखाई दे रहा है, जिसमें बड़ी पूंजी, विशेष रूप से वित्तीय पूंजी, एफआईआई की बिकवाली के कारण दबाव में हैं।